

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

संख्या-1/स्था0 (2) 01/ 2022- 451 /वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-03.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड-4, ग्रेड वेतन रु0 8700/- में निम्नवत सूची के क्रमांक-3 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1	2	3
1	डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर, संयुक्त निदेशक (प0स्वा0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।	09.04.2021
2	डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर।	24.11.2023
3	डॉ0 जाहिद हुसैन, विशेष उप निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), पटना।	28.05.2022
4	डॉ0 कुमार कान्ता प्रसाद, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा।	22.05.2022
5	डॉ0 अहसनुल होदा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सिवान।	23.02.2024
6	स्व0 डॉ0 फतह बहादुर, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल।	07.03.2024
7	डॉ0 मो0 इकराम, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ।	23.02.2024
8	डॉ0 सतीश प्रसाद, उप निदेशक (चारा विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), पटना।	23.02.2024
9	डॉ0 अरुण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना।	23.02.2024
10	डॉ0 राजेश, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी।	23.02.2024
11	डॉ0 मो0 फातेहुज्जमां, जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर।	24.02.2024
12	डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार प्रभाकर, सेवानिवृत्त अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, जमुई।	03.04.2021

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुमंजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 01/2022-

452

/पटना-15, दिनांक- 30/01/2025

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित विशेष उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित परियोजना पदाधिकारी, पशुपालन/संबंधित सहायक निदेशक, पशुपालन/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/01/25

सरकार के अवर सचिव।